

मुकदमा नम्बर :- 28/2014

आशा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आशा या कार्यवाही	विवरण
	5/9/24	क.वाडी डफ बहस करेगा तसमय डिमा जाकर आत्रापणी बहस करेगा हेप 23/9/24 को पेस की के
	23/9/24	क.वाडी डफ सद्यपस्त वाडी की खुशी ठाणे डोराने बहस अधिवस्त वाडी के करेगा रिपोर्ट के अधिक डिडी फिये जाणे की आचार ही बहस के पत्रावणी वाकले हेप डिमांक 30/9/24 को पेस हो
	30/9/24	प्रसाइलिंग ऑफीसर, दौरे/अयकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक: 17/10/24 को पेस हो।
	17/10/24	क.वाडी डफ अधिवस्त/वाडी की बहस खुशी ठाणे डोराने बहस सद्यपस्त वाडी के करेगा रिपोर्ट के आचार पर वाडी का वाह अधिक डिडी फिये जाणे की बरहानत जाहिर की गडे अतः वाडी का वाह अधिक डिडी फिये जाता है किरीप फयक के निबन्ध जाकर आग्रिण पत्रावणी फिया गया है पत्रावणी के साथ बुगार डिकर डप कम्पार के फा हो तथा हाकिम दपतर हो

कुरेगात स्थिति  
 डे आचार पर  
 डिमा जाणे  
 जाणे मुअमी  
 जायसि नही  
 वा/...

सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रैक)  
 चौमू (जयपुर)



ला-जयपुर ग्रामीण  
क्र. 5  
क. 1

मुकदमा नं०-28/2024  
उगवान-धनश्याम बनाम सीताराम वर्मा  
निर्णय दिनांक-17.10.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण  
पीठासीन अधिकारी :-कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं०:-28/2024

उगवान

धनश्याम मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)।

-वादी-

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम
2. बोदूराम पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम
3. बजरंगलाल पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम
4. गिरधारीलाल पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम
5. मन्जू देवी पुत्री स्व0 श्री सुरजाराम
6. अनिता पुत्री स्व0 श्री सुरजाराम
7. सुवालाल पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
8. शिवपाल पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
9. राजेश पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
10. भंवरी देवी पत्नी स्व0 श्री मूलचन्द
11. विक्रम पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द
12. सुमित पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

14. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-17.10.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रजात रिपोर्ट दिनांकित 23.07.2024 के अनुसार वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 23.07.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खेजरोली बी, पटवार हल्का खेजरोली बी, भू अभि0 नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 27 के खसरा नं0 4202 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 4203 रकबा 0.07 है0, कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.31 हैक्टियर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

कनक जैन  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक)  
चौमूं (जयपुर)




मु0सं0-28/2024

उनवान-घनश्याम बनाम सीताराम वगै0

निर्णय दिनांक:-17.10.2024

- घनश्याम पुत्र जगदीश प्रसाद हिरसा सम्पूर्ण, जाति मीणा, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 4202/1 रकबा 0.0620 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0620 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाई गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. अनिता पुत्री बंशीधर हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, गिरधारीलाल पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, बजरंगलाल पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, बोदूराम पुत्र सुज्या हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, भंवरी देवी पत्नी मूलचन्द हिस्सा 1/48 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, मंजू पुत्री बंशीधर हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, राजेश पुत्र प्रभू हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, विक्रम पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/48 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, शिवपाल पुत्र प्रभू हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, सुमित पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/48 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, सुवालाल पुत्र प्रभू हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र सुज्या हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 4202/2 रकबा 0.094 है0, खसरा नम्बर 4202/3 रकबा 0.084 है0, खसरा नम्बर 4203 रकबा 0.07 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.248 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाई गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर  
(फा0 देह खातेदार के हिस्से में)  
चौधरी (जयपुर)

**डिक्री मुकददमा इब्तादाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण  
पीठासीन अधिकारी :-कनक जैन (R.A.S.)

उनवान

घनश्याम मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)।

-वादी-

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम
  2. बोदूराम पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम
  3. बजरंगलाल पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम
  4. गिस्थारीलाल पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम
  5. मन्जू देवी पुत्री स्व0 श्री सुरजाराम
  6. अनिता पुत्री स्व0 श्री सुरजाराम
  7. सुवालाल पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
  8. शिवपाल पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
  9. राजेश पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
  10. भंवरी देवी पत्नी स्व0 श्री मूलचन्द
  11. विक्रम पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द
  12. सुमित पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द
- समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
  14. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

-प्रतिवादीगण

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :-28 / 2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

विवादित भूमि वाके ग्राम खेजरोली बी, पटवार हल्का खेजरोली बी, भू अभि0 नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 27 के खसरा नं0 4202 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 4203 रकबा 0.07 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.31 हैक्टियर भूमि का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 23.07.2024 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. घनश्याम पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा सम्पूर्ण, जाति मीणा, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 4202/1 रकबा 0.0620 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0620 हैक्टियर भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाई गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

(मन) कनक जैन  
कलक्टर (फा0ट्रैक)  
जयपुर

मु०सं०-28 / 2024

उनवान-धनश्याम बनाम सीताराम वगै०

निर्णय दिनांक:-17.10.2024

अनिता पुत्री बंशीधर हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा० देह खातेदार, गिरधारीलाल पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा० देह खातेदार, बजरंगलाल पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा० देह खातेदार, बोदूराम पुत्र सुज्या हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा० देह खातेदार, भंवरी देवी पत्नी मूलचन्द हिस्सा 1/48 जाति मीणा सा० देह खातेदार, मंजू पुत्री बंशीधर हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा० देह खातेदार, राजेश पुत्र प्रभू हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा० देह खातेदार, विक्रम पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/48 जाति मीणा सा० देह खातेदार, शिवपाल पुत्र प्रभू हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा० देह खातेदार, सुमित पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/48 जाति मीणा सा० देह खातेदार, सुवालाल पुत्र प्रभू हिस्सा 1/16 जाति मीणा सा० देह खातेदार, सीताराम पुत्र सुज्या हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा० देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 4202/2 रकबा 0.094 है०, खसरा नम्बर 4202/3 रकबा 0.084 है०, खसरा नम्बर 4203 रकबा 0.07 है०, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.248 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाई गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसमत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 17.10.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत (.....) कलम वगैरह  
ओहदा...सहायक (फास्ट ट्रेक) चौमै (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	0
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	0
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
8.मुतफरिक		7.मुतफरिक	
जोड़	6	जोड़	0

महान्या  
सहायक (फास्ट ट्रेक) चौमै (जयपुर)